न्यायालय सहायक कलक्टर, (एस.डी.एम.) गुलाबपुरा

बईजलास श्री आलोक जैन (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.–32/2018

डनवान

1– नारायण पिता पन्ना जाट निवासी धनपुरा तहसील हुरडा ।

–प्रार्थी

बनाम

1 गुलाब पिता पन्ना जाट निवासी धनपुरा तहसील हुरडा ।
2 भूरा पिता पन्ना जाट निवासी धनपुरा तहसील हुरडा
3 श्रीमति चान्दू पत्नि पन्ना जाट निवासी धनपुरा तहसील हुरडा ।
4 श्रीमति माया पुत्री पन्ना जाट निवासी धनपुरा तहसील हुरडा ।
5 सीता पत्नि घासी जाट निवासी– धनपुरा तहसील हुरडा ।
6 घीसी पत्नि सांवर लाल जाट निवासी – धनपुरा तहसील हुरडा ।
7 मगना पिता रुपा दत्तक पुत्र सुखदेव जाट निवासी– धनपुरा
8 शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा सरेरी, तहसील हुरडा ।
9 शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा रुपाहेली तहसील हुरडा ।
10 राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार हुरडा ।

–विपक्षीगण

उपस्थित :– श्रीमति निर्मला जैन , वकील प्रार्थी
श्री श्याम लाल त्रिवेद्धी वकील विपक्षीगण सं.5,6, 7

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 , राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

–:आदेश:–

दिनांक– 01.10.2019

1– प्रार्थी के द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि जमाबन्धी ग्राम धनपुरा पटवार हल्का टोंकरवाड तहसील हुरडा में प्रार्थी एंव विपक्षी संख्या– 1 से लगायत 4 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या– 92 की आराजी नम्बर– 249/2, 254/2 कुल किता 2 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा एवं ग्राम टोंकरवाड में स्थित कृषि आराजी खाता संख्या– 293 की आराजी नम्बर– 2364 रकबा 03 बिस्वा गे.मू.चा. जो कि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या– 1 से 4 के नाम खातेदारी दर्ज है एवं खाता संख्या– 431 की आराजी नम्बर– 2355/2 रकबा 4 बीघा स्थित है , एवं खाता संख्या– 691 आराजी नम्बर– 2362 रकबा 02 बिस्वा गे.मू.चा. जो की प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या– 1 से लगायत 4 के पिता एवं विपक्षी संख्या– 3 के पति के नाम 1/2 हिस्सा तथा विपक्षी संख्या– 5 एवं 6 का 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज रिकार्ड है जिसका उपयोग उपभोग अपने अपने हक हिस्से अनुसार करते चले आ रहे है ।

Scanned by CamScanner

2– प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर– 1 में वर्णित आराजीयात में खाता संख्या– 691 की आराजी नम्बर– 262 रकबा 02 बिस्वा गे.मू.चा. में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या– 1 से लगायत 4 का 1/2 हिस्सा एवं विपक्षी संख्या– 5 व 6 का भी 1/2 हिस्सा निहित है । अन्य आराजीयात जो प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर– 1 में वर्णित है, उसमें केवल प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या– 1 से लगायत 4 का ही हिस्सा निहित है । चुँकि विपक्षी संख्या– 7 मगना जो कि सुखदेव जाट निवासी धनपुरा के गोद चले जाने के कारण उसका उक्त आराजी में कोई हक हिस्सा शेष नही रहा है । शेष प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या– 1 से लगायत 4 उसी अनुरुप अपने अपने हक हिस्से पर काबिज होकर फसल काश्त करते चले आ रहे है लेकिन विपक्षी संख्या– 7 का उक्त आराजी में कोई हक हिस्सा नही होने के बावजूद भी वह कलम नम्बर–1 में अंकित आराजी को बेचान करने पर आमादा है एवं विपक्षी संख्या– 5 व 6 का केवल मात्र आराजी नम्बर– 262 गे.मू.चा. में 1/2 हक हिस्सा ही है ।

3– प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या– 1 से लगायत 4 की संयुक्त आराजी का भौतिक रुप से विभाजन न होने से आयेदिन पक्षकारान के मध्य हिस्से एवं लगान की फलावट को लेकर तनाजा बना रहता है तथा विपक्षीगण बिना विभाजन किये अपने निहित हिस्से से अधिक आराजी को बिना विभाजन कराये संयुक्त आराजीयात मे से प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त की विशिष्ट कृषि भूमि को अन्य अजनबी व्यक्ति को बेचान करने पर आमादा है जिससे प्रार्थीगण अपने हक हिस्से की कृषि भूमि का विभाजन करना चाहते है ।

4– विपक्षी संख्या– 1 से लगायत 4 जो कि वादग्रस्त आराजी के हक हिस्से के हिस्सेदार है जो बिना हिस्से के विभाजन कराये संयुक्त आराजी में प्रार्थी के कब्जेकाश्त की विशिष्ट आराजी को अन्य दिगर को बैचान करने पर आमादा है व हाल ही में दिनांक 02.06.2018 को प्रार्थी ने विपक्षी संख्या– 1 से लगायत 7 को उक्त आराजी का सहमति के आधार पर विभाजन कराने का निवेदन किया लेकिन विपक्षीगणों द्वारा साफ इन्कार कर दिये जाने से तथा आयेदिन अजनबी लोगों को बैचान हेतु जमीन दिखाने के लिए मौके पर आये तथा धमकी दी कि वह संयुक्त आराजी में से विशिष्ट भू–भाग को अन्य अजनबी व्यक्ति को बैचान कर देगा व तहसील में पंजीयन करा देगा । विपक्षीगणों ने अपने हक हिस्से की आरजी का बिना विभाजन कराये दिगर को बय बैचान बक्षीश करने पर आमादा है । इस कारण प्रार्थी विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। यदि विपक्षीगण को बजरिये अस्थाई निषेधज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो विपक्षीगण संयुक्त आराजी के विशिष्ट भू–भाग को अन्य दिगर को बैचान कर देगा जिससे प्रार्थी को असहनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति कदापि सम्भव नही है ।

अन्त में अंकित किया कि प्रार्थी के पक्ष में तथा विपक्षीगण संख्या– 1 से लगायत 7 के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस

Scanned by CamScanner

आशय की पारित फरमाई जावें कि ताफैसला मुकदमा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या– 2 में वर्णित वादी के कब्जेकाश्त की आराजी में विपक्षीगण बिना विभाजन कराये अन्य दिगर को बैचान कर अन्तरित न करें, करावे और ना ही प्रार्थी के हक हिस्से एवं कब्जेकाश्त की आराजी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी , अवरोध बाधा उत्पन्न नही करे, करावें ।

6 प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर विपक्षी संख्या– 5, 6, 7 की ओर से दिनांक 15.01.2019 को जवाब प्रस्तुत किया गया । विपक्षी संख्या– 1 से 4 बावजूद सूचना के गैर हाजिर रहने से उनके विरुद्ध दिनांक 19.08.2019 को एकतरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये । विपक्षी संख्या– 10 के पैरोकारराज के द्वारा प्रकरण में राजहित नही होने से जवाब प्रस्तुत नही किया गया। प्रकरण विपक्षी संख्या– 8 व 9 की तलबी में नियत किया गया था किन्तु वकील विपक्षी के द्वारा प्रकरण में बहस सूने जाने की बार बार इस्तदुआ करने पर वकील उभयपक्ष की बहस सूनी गई ।

7 वक्त बहस वकील अप्रार्थी का कथन था कि आराजी मुतदाविया प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या– 1 से लगायत 4 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है विपक्षी संख्या– 7 मगना जो कि सुखदेव जाट निवासी धनपुरा के गोद चले जाने के कारण उसका उक्त आराजीयात में कोई हक हिस्सा शेष नही होने के बावजूद भी वह वादग्रस्त आराजीयात में से विशिष्ट भू–भाग की भूमि को बेचान करने पर आमादा है । वकील अप्रार्थी को यह भी कथन था कि मगना पिता रुपा एवं मगना पिता सुखदेव एक ही व्यक्ति है इसलिये दावे का निर्णय होने तक अप्रार्थी को पाबन्द फरमावें नही तो वह किसी भी नाम से भूमि का बैचान कर सकता है। वकील प्रार्थी के द्वारा हमारा ध्यान आर आर टी 2013 (2) पेज संख्या– 828 की ओर दिलाया जाकर अन्त में कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जावें।

8 जबकि वकील अप्रार्थी का कथन था कि वादग्रस्त आराजी नम्बर– 249/2 , 254/2 , 2364 मगना पिता रुपा की खातेदारी में 50 साल से दर्ज चली आ रही है , प्रार्थी ने मगना को गोद चले जाना बताया है किसके गोद गया , कब गया नही बताया है एवं गोद का कोई दस्तोवज पत्रावली पर नही है, गोद का बिन्दु निर्धारण करने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही है । अन्त में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या वादग्रस्त आराजीयात के सहखातेदार काश्तकार इसलिये खातेदारों के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है, अपने कथनों की पृष्टि में हमारा ध्यान आर.आर. टी. 2011–12 (सुप्रीम) पेज संख्या– 217 , आर. आर. टी. 2018 (1) पेज संख्या– 405 , आर आर टी 2016 (1) पेज संख्या– 113 की ओर दिलाया जाकर कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारीज

Scanned by CamScanner

फरमाया जावें ।

9 मैंने वकील उभयपक्ष की सूना । बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। विवेचन निम्न प्रकार से रहा हैं।

10 प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत फोटोप्रति जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 मौजा धनपुरा पटवार हल्का टोंकरवाड तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर– 249/2 , 254/2 किता 2 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा भूमि मगना पिता रुपा जाट साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड , जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 मौजा टोंकरवाड तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 2364 रकबा 03 बिस्वा गे.मू.चाह. नारायण गुलाब भूरा पिता पन्ना चान्दू बेवा पन्ना मगना पिता रुपा जाट साकिन धनपुरा के नाम दर्ज रिकार्ड होना , आराजी नम्बर– 2355/2 रकबा 04 बीघा मगना पिता रुपा जाट साकिन धनपुरा तहसील हुरडा , आराजी नम्बर– 2362 रकबा 02 बिस्वा गे.मू.चाह सीता पत्नि घासी , घीसी पत्नि सॉवरलाल जाट 1/2 पन्ना , मगना पिता रुपा हिस्सा 1/2 साकिन धनपुरा दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है।

11 यहा प्रार्थी का कथन है मुख्य कथन यह है कि मगना पिता रुपा सुखदेव के गोद चले जाने से उसका वादग्रस्त आराजीयात में कोई हक हिस्सा नही है किन्तु अपने कथनों की पृष्टि में उनके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही करवाया गया है जो यह प्रकट कर सके कि मगना सुखदेव के गोद चला गया हो प्रार्थी के द्वारा जो राजस्व जमाबन्दी की फोटो प्रतियॉ प्रत्रावली पर उपलब्ध करवाई गई है वह मगना पिता रुपा के खातेदारी आराजीयात की है । हांलाकि यह तो मूल वाद में बाद साक्ष्य सबूत से तय होगा कि मगना सुखदेव के गोद गया अथवा नही क्या मगना पिता रुपा वह मगना पिता सुखदेव एक ही व्यक्ति है इस 212 के प्रार्थना पत्र में इसका निर्णय नही किया जा सकता है। एतएवं प्रथम दृष्टिया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नही होता है, यदि अप्रार्थीगण को पाबन्द कर दिया गया तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को न होकर अप्रार्थीगण को ही होगी ऐसी स्थिति में सुविधा व न्याय सन्तुलन इस स्टेज पर प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रकट हुये है लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किये जाने योग्य है ।

–:आदेश:–

प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली शुमार फैसल होकर मूलवाद के साथ सलंग्न रहे। आदेश आज दिनांक 01.10.2019 को खुली अदालत में सुनाया गया।

(आलोक जैन)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner